कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली

पत्रांक 2712 /मनरेगा, हाजीपुर दिनांक 26-12-013

प्रेषक,

लोकपाल
मनरेगा, वैशाली।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
वैशाली।

विषयः– **ग्राम पंचायत डभैच्छ, प्रखण्ड– पातेपुर में मनरेगा योजनान्तर्गत सड़क निर्माण में अनियमितता की जांच के संबंध में।**

संदर्भः– आपका पत्रांक 1446/अभिकरण, हाजीपुर दिनांक 22.08.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री रवि शंकर साह, पिता– गौरी शंकर साह, ग्राम पंचायत डभैच्छ, प्रखण्ड– पातेपुर का सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता के संबंध में जांच प्रतिवेदन भेजी जा रही है।

उक्त जांच प्रतिवेदन के साथ कार्यक्रम पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पातेपुर का जांच प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया गया है।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन

26.12.13

लोकपाल
मनरेगा, वैशाली

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली
लोकपाल, मनरेगा
जिला– वैशाली

दिनांक	शिकायत संख्या 19/13–14 के तथ्य एवं निष्कर्ष	अभ्युक्ति
26.12.13	यह शिकायत पत्र रवि शंकर साह, पिता– गोड़ी शंकर साह, ग्राम–डभैच्छ , थाना– तिसिऔता, प्रखण्ड– पातेपुर, जिला– वैशाली के दिनांक 22.08.2013 के आवदेन–पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत–पत्र में लगाये गये आरोप निम्न है। प्रखण्ड पातेपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत डभैच्छ की मनरेगा योजना में मौना चौक से लेकर असवारी तक 5000/– फीट सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। जिसमें सड़क सोलिंग उखाड़कर मिट्टी एवं बालू को भरकर पुनः सड़क पर सोलिंग एक नम्बर ईंट के साथ गाड़ना है तथा सोलिंग पर बालू एवं मिट्टी रखना है। जिसमें अनियमितता बरती जा रही है इत्यादि। शिकायकतकर्त्ता का आगे यह भी कहना है कि मुखिया श्री वीरू राय एवं ठीकेदार राजेश्वर साह के दबंगता के कारण लोग इसके विरूद्ध आवाज उठाने से डरते है। शिकायतकर्त्ता के शिकायत पत्र के संबंध में पत्रांक 1471 दिनांक 24.08.2013 द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी–सह– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पातेपुर से जांच प्रतिवेदन एवं कृत कार्रवाई की मांग की गयी। चूँकि शिकायत–पत्र, योजना में निर्माण कार्य के गुणवत्ता से संबंधित था। अतएवं पत्रांक 1544 दिनांक 04.09.2013 द्वारा श्री राकेश कुमार, सहायक अभियंता, मनरेगा से भी जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी। जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया जा सका। काफी प्रयास किये जाने के उपरांत पत्रांक 208 दिनांक 30.11.2013 द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, पातेपुर का जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया जा सका। शिकायतकर्त्ता सुनवाई की अन्य कोई तिथियों पर उपस्थित नहीं हुए। कार्यक्रम पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा स्वयं स्थल की जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि स्थल जांच कार्य के समय शिकायतकर्त्ता अपने घर पर उपलब्ध नहीं थे। पूछने पर बताया गया कि वे अब गॉव में नहीं रहते हे। गॉव छोड़कर हावड़ा चले गये है। शिकायत–पत्र के संबंध में शिकायतकर्त्ता के पिता द्वारा बताया गया कि मेरे घर के सामने 100 फीट में लगा हुआ ईटं का स्तर निम्न है। उक्त स्थल का निरिक्षण शिकायतकर्त्ता के पिता एवं भाई के साथ किया गया। स्थल निरिक्षण के दौरान शिकायतकर्त्ता के पिता द्वारा एक टेलर ईटं का स्तर निम्न होने की शिकायत पर संबंधित पंचायत रोजगार सेवक को उस ईटं का प्रयोग नहीं करने का निदेश दिया। लगभग 15 दिनों के बाद पुनः योजना स्थल का निरिक्षण किया गया तो पाया गया कि उक्त स्थल पर निम्न स्तर के ईटं का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके साथ ही कार्य के अभिकर्त्ता द्वारा ईटं पर बालू का भी प्रयोग किया गया हे। विभागीय पदाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया है कि शिकायतकर्त्ता के द्वारा लगाये गये आरोप में उठाये गये आपत्तियों का निराकरण, कार्य योजना अभिकर्त्ता के द्वारा पुनः कर दिया गया है। अतः शिकायतकर्त्ता द्वारा शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप को समाप्त कर दिया जाये। शिकायत–पत्र की कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्त्ता द्वारा स्वयं या उनके कोई प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने के कारण विभागीय जांच प्रतिवेदन को सत्य नहीं मानने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है। विभागीय पदाधिकारी द्वारा शिकायतकर्त्ता के स्वयं की अनुपस्थिति में उनके पिता एवं भाई के साथ –साथ स्थल जांच कर पायी गयी अनियमितता का निराकरण कर दिया गया है। अतएव इस वाद का निष्पादन किया जा सकता है। हस्ताक्षर 26.12.13 लोकपाल, मनरेगा वैशाली।	